



कार्यालय प्राचार्य / विभागीय प्रतिनिधि
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदत्त, ISO-9001:2015 प्रमाणित

फोन नं.- 07752-424497, वेब.- www.dpvipracollege.in, ईमेल- dpvipracollege@gmail.com

बिलासपुर, दिनांक 11.08.2020

// छात्रों का शुल्क में छूट हेतु नीति //

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों को शिष्यवृत्ति के रूप में प्रशासन समिति द्वारा लिये जाने वाले शुल्क में छूट दिया जायेगा, जिसका आधार यह होगा।
- अ. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के छात्रों, किन्तु पिछले परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- ब. उत्कृष्ट खिलाड़ी, एन.सी.सी. के उत्कृष्ट कैडेट्स, एन.एस.एस. के उत्कृष्ट छात्रों को भी शुल्क में छूट शिष्यवृत्ति के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- स. कोविड में जिनके माता-पिता का निधन हो गया, उनके पाल्य को शुल्क में छूट दिया जायेगा। महाविद्यालय में कार्यरत् पालक के छात्रों को भी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है।
- द. राजनेता और प्रशासन समिति से अनुशंसित छात्रों को छूट दिया जायेगा।
- इ. महाविद्यालय द्वारा शुल्क में वर्ष में केवल एक बार ही छूट दिया जायेगा।
2. शुल्क में शिक्षण शुल्क के किसी एक किश्त का 50 प्रतिशत ही छूट में दिया जायेगा।
3. कोविड में जिन छात्रों के माता-पिता का निधन हो गया हो, उन्हें शिक्षण शुल्क का एक किश्त का 100 प्रतिशत छूट दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय में कार्यरत् प्राध्यापकों/कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में पूर्णतया छूट दी जायेगी।
5. छूट में वृद्धि या कमी किये जाने हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया है।
6. अध्यक्ष, प्रशासन समिति द्वारा छूट में कमी या वृद्धि उनके विवेकाधीन पर निर्भर करेगा तथा उनके द्वारा अनुशंसित राशि के अनुसार ही छूट प्रदान किया जायेगा।

प्राचार्य

डी. पी. विप्र महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)